

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 158/2025 बउनवानी तुलसी देवी जांगिड बनाम तहसीलदार बौली
पत्नि हरिमोहन जांगिड निवासी ग्राम मलारना डूंगर

GCMS No-2025/324

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	पृष्ठ संख्या
12.11.2025	<p>पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्त नियत दिनांक को उपस्थित नहीं हुआ। अपीलान्त द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 12.9.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौली को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " तहसीलदार बौली के पत्रांक आरटीआई/2025/1511 दिनांक 14.7.2025 की पालना में 14/-रु शुल्क जमा करवाने के उपरान्त चाही गयी सूचना की प्रमाणित प्रति" तहसीलदार बौली से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्त द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौली को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौली की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक: सू.का.अ/2025/65 दिनांक 11.11.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 12.9.2025 में चाही गयी सूचना (7 पृष्ठ में) तहसीलदार बौली के पत्रांक/ भू.अ./2025/64 दिनांक 11.11.2025 से अपीलान्त को जरिये रजिस्टर्ड डाक उपलब्ध करवायी जा चुकी है।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं,कि अपीलान्त द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 12.9.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौली के पत्रांक 64 दिनांक 11.11.2025 द्वारा अपीलान्त को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्त खारिज की जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।</p> <p style="text-align: right;">(काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर</p>	